संख्या ई. 11016/1/2016-हिन्दी

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक: 10.08.2016

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

वाप्कोस, 76-सी,

इन्स्टीटयूशनल एरिया, सेक्टर-18,

गुड़गांव – 122015

विषय: मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 19.7.2016 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

माननीया जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 19.7.2016 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की आयोजित बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

भवदीय,

(एम.सी.भारद्वाज)

उप निदेशक (रा.भा.)

संलग्नक: उक्त कार्यवृत्त की प्रति

प्रतिलिपि :

1) सभी संबंधित अधिकारियों/संगठनों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार 20.9.2016 तक हिन्दी अनुभाग को अवगत करने का कष्ट करें ताकि की गयी कार्रवाई को अगामी बैठक में शामिल किया जा सके।

2) मंत्री (ज.सं., न.वि. और गं. सं.) के निजी सचिव/राज्य मंत्री(ज.सं., न.वि. और गं. सं.) के निजी सचिव।
3) सचिव (ज.सं., न.वि. और गं. सं. मंत्रालय) के प्रधान निजी सचिव/विशेष सचिव (ज.सं.) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशा.)/ संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव (पी.पी.)/ आर्थिक सलाहकार के निजी सचिव।
4) जल संसाधन मंत्रालय के सभी अधिकारी/सभी अनुभाग।
5) सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, कमरा नं. 109, ए खंड, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6) सम्पादक, भगीरथ पत्रिका, केन्द्रीय जल आयोग, 511 (दक्षिण), सेवा भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि बैठक का कार्यवृत्त और फोटो पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाए।
7) निदेशक, एनआईसी, जल संसाधन मंत्रालय। मंत्रालय के इन्ट्रनेट पर हिन्दी अनुभाग, परिपत्र के तहत कृपया इसे अपलोड करवाएं।

(एम.सी. भारद्वाज)
उप निदेशक (रा.भा.)

माननीया जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 19.07.2016 को मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

माननीया जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की नव गठित हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक दिनांक 19.07.2016 को अपराह्न 3 बजे श्रम शक्ति भवन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के समिति कक्ष में मदों के मुताबिक सदस्य सचिव ने शुरू करवायी। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

2. बैठक के प्रारंभ में सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं.) महोदय ने अध्यक्ष महोदया तथा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि मंत्रालय जल संसाधनों के विकास एवं विनियमन के संबंध में दिशा-निर्देश एवं कार्यक्रम निर्धारित करने के अपने दायित्व के निर्वाह के साथ-साथ मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए भी कटिबद्ध है।

3. इसके बाद माननीया अध्यक्ष महोदया ने कहा कि समिति के गठन के बाद यह बैठक देर से हो रही हैं अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि बैठक हर तीन महीने के बाद हो। माननीय सांसदो (समिति के सदस्यों) की अनुपस्थिति को अध्यक्ष महोदया ने गंभीरता से लिया और कहा कि भविष्य में इन्हें फोन करके भी बैठक के बारे में सूचना दी जाए। अध्यक्ष महोदया ने अपनी ओर से मेल भेजकर भी उक्त सदस्यों से बैठक में उपस्थित न होने का कारण पता लगाने को कहा।

उन्होंने आगे यह कहा कि हमें अंग्रेजी की जकड़न से बाहर आना चाहिए और सरकारी काम काज में रोजमर्रा की बोल चाल के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो उर्दू , अंग्रेजी शब्द प्रचलित हो चुके हैं, उन्हें हिन्दी में प्रयोग करने से न कतराएं, उनका प्रयोग जरूर करें। उन्होंने कहा कि बहुत सारी भाषाएं सीखने में कोई बुराई नहीं है, मगर हमें अपनी मातृभाषा और जीवन-शैली पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बैठकों में लिए गए निर्णय,विभागों की कार्रवाई में भी दिखाई पड़ने चाहिएं।

(कार्रवाई: मंत्रालय/सभी संगठन)

4. राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव (रा.भा.) ने मंत्रालय तथा इसके संगठनों में पत्राचार की स्थिति पर संतोष जताया लेकिन उन्होंने विगत वर्ष में धारा 3 (3) और नियम 5 के कतिपय उल्लंघनों को गंभीर बताया। अध्यक्ष महोदया ने इस पर सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं.) से कहा कि एक संयुक्त सचिव पद के अधिकारी को ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए निगरानी सौंपी जाए ताकि इन नियमों का पालन सुनिश्चित हो।

(कार्रवाई: मंत्रालय/सभी संगठन)

5. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि उनका कार्यालय जल और जल संसाधनों के संरक्षण तथा उनके किफायती उपयोग के लिए जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं (पेंटिग, निबंध लेखन आदि) आयोजित करता है। यह कार्यक्रम 12 वर्षों से चल रहा है और इस पर लोगों से बड़ी अच्छी प्रतिक्रया मिल रही है।

6. समिति की सदस्य श्रीमती शांतिबाई (कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति बेंगलूर) ने पहले देश में जल संकट की ओर समिति का ध्यान दिलाया फिर उन्होंने [redacted] हिन्दी के विषय में बोला और कहा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन व्यावहारिक तौर पर कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हिन्दी को केवल राजभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा समझा जाना चाहिए है। **हर काम पहले हिन्दी में होना चाहिए उसके बाद अन्य भाषा में।** उन्होंने यह भी कहा कि उनके यहां (कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बेंगलूर में) लोग बड़े सेवा-भाव से हिन्दी में काम करते हैं। ऐसे ही सभी जगह लोगों को पूरे मन से हिन्दी में काम करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया ने कहा कि उनके सुझावों पर पूरा गौर किया जाएगा।

(कार्रवाई: मंत्रालय/सभी संगठन)

7. श्री बेगराज खटाना जी ने सुझाव दिए कि सभी लोग हिन्दी में हस्ताक्षर करें। अधिकाधिक पत्र हिन्दी में लिखे जाएं और उत्तर भी हिन्दी में भेजे जाएं। चैक हिन्दी

में भरे जाएं और इसमें राशि भी हिन्दी में लिखी जाए। कर्मचारियों द्वारा, द्विभाषी छपे विभिन्न **प्रपत्रों में हिन्दी विकल्प** चुनने पर जोर दिया जाए तथा कुछ प्रपत्रों को सुविधानुसार हिन्दी में भरना अनिवार्य कर देना चाहिए।

(कार्रवाई: मंत्रालय/सभी संगठन)

8. श्री तारेश जी ने कहा कि अधिकारीगण प्रतिदिन हिन्दी में आशुलिपि दें ताकि कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने का उत्साह और अवसर मिले। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी में काम-काज की प्रगति पर नजर रखने के लिए कोई सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए तथा हर तीन महीने बाद प्रत्येक अनुभाग और विभाग की समीक्षा हो और ऐसे कारणों का पता लगाएं जो हिन्दी में काम-काज करने में बाधा पैदा करते हों और ऐसे करणों को दूर किया जाए। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि **माननीया मंत्री जी की ओर से एक ऐसा आदेश जारी किया जाना चाहिए कि सप्ताह में दो कार्य दिवसों को सभी विभागों और मंत्रालय में सारे कार्य-पत्राचार एवं लेखन हिन्दी में होगा।** उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी के शब्द के लिए हिन्दी पर्याय का सबसे सरल शब्द प्रयोग किया जाए। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदया ने कहा कि शुरूआत में सभी फाइलों पर टिप्पण (नोटिंग) हिन्दी में शुरू कर दी जाए।

(कार्रवाई: मंत्रालय/सभी संगठन)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री जी ने कहा कि उनके कार्यकाल में इस प्रकार की यह पहली बैठक है। उन्होंने भी हिन्दी के सरल, सुबोध और प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल दिया।

सदस्यों के विचारों को सुनने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदया ने कहा कि सबसे अनुरोध है कि एजेंडा मूल रूप से हिन्दी में ही तैयार किया जाए। हमें यह देखना है कि हम 75% कार्य हिन्दी में करें। हिन्दी के लिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त की।

अनुलग्नक

माननीया जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 19.07.2016 को हुई बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची।

क्र.सं.	नाम	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य
1	सुश्री उमा भारती	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री-अध्यक्ष
2	डॉ संजीव कुमार बालियान	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री-उपाध्यक्ष
3	श्रीमती बी.एस. शांताबाई	सदस्य
4	श्री बेगराज खटाना	सदस्य
5	श्री तारेश	सदस्य
6	श्री सुधीर एच. रमानी	सदस्य
7	श्री शशि शेखर	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
8	श्री यू.बी. सिंह	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
9	श्री घनश्याम झा	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
10	श्री हसन अब्दुल्लाह	निदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली
11	श्री ए.के. विश्वास	अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, फरीदाबाद
12	श्री राजदेव सिंह	निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की
13	श्री एस. मसूद हुसैन	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
14	श्री एच.एल चौधरी	सी.एम.डी., नैशनल प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
15	श्री अमर कुमार	मुख्य कार्यकारी निदेशक, वाप्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली
16	श्री बिपिन बिहारी	संयुक्त सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग
17	श्री शंकर कुमार साहा	सदस्य सचिव, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड
18	श्री के.एम.एम. अलिमाल्मिगोती	सदस्य-सचिव